भारतीय कृषि एवं विश्व व्यापार संगठन

डॉ. बिन्दु श्रीवास्तव

प्राध्यापक अर्थशास्त्र

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

विश्व व्यापार संगठ़न के प्रावधान भारतीय कृषि को किस प्रकार प्रभावित कर रहे है उनमें कृषि अनुदान एवं सब्सिडी,सार्वजनिक वितरण प्राणाली, पेटेन्ट कानून एवं बौद्धिक सम्पदा का अधिकार तथा कृषि उत्पादों का विदेशी व्यापार प्रमुख है। इन्ही आधारो पर भारतीय कृषि को कृषकों के साथ आंकलित किया जाए तो शायद यह एक मंहगा सौदा साबित होगा क्योंकि भारतीय कृषकों की दयनीय स्थिति सरकार से छिपी नहीं है अतः भारतीय कृषि की स्थिति और कृषकों को दी जाने वाली सुविधाओं जैसे - अनाज खरीदने, भंडारण करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने एवं अनुदान राशियों को भी ध्यान में रखना होगा तभी देश में कृषको को सशक्त बना कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानको के आधार पर उन्हें लाभान्वित कर सकते है।

मुख्य शब्द - सब्सिडी, हालिया, सामान्यीकृत, व्यापार संगठन।

विश्व व्यापार संगठन विश्व में व्यापार संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर विश्व व्यापार में वृद्धि करने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है इसका मूल उद्देय व्यावसायिक गतिविधियों को अन्जाम देने, माल और सेवाओं को आयात करने आयातकों और निर्यातकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह विश्व के विभिन्न देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा सीमा शुल्क के बंधनों को कम करने के लिए किया गया आवश्यक सिद्धांतों तथा नियमों से संबंधित बहुपक्षीय समझौता और बंधन मुक्त संगठन है यह एक बहुपक्षीय संधि है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का निर्धारण करती है।[1]

स्थापना -

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1944 में ब्रिट्रेन वुडस के सम्मेलन में यह तय हुआ कि तीन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की जाए जो विश्व की सभी अर्थव्यवस्था के पुर्ननिर्माण में सहायता करेगी इसी उद्देय की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष "विश्व वैंक" एवं अन्तर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन की रूपरेखा रखी गई। विश्व बैंक एवं मुद्रा कोष ने 27 दिसम्बर 1945 से काम शुरू किया लेकिन अमेरिका की सीनेट के विरोध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना नहीं हो सकी। लेकिन 23 देशों ने भारत सहित 1947 में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सीमा शुल्क और सामान्य समझौते के रूप में गैट की स्थापना की।[2] इस समझौते के अर्न्तगत सदस्य देशों ने 8 सम्मेलन किये और अंतिम सम्मेलन यूरेग्वे राउण्ड समझौते के अनुसार गैट का रूपान्तरण एक नवीन औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में करने की सहमति हुई जिसे विश्व व्यापार संगठन कहा गया यह मराकश समझौते से 1 जनवरी 1995 से कार्यशील हुआ इसे एकल संस्थागत ढाँचा का

ISSN 2395-031X

प्रारूप दिया गया जो दो वर्ष में होने वाले मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा निर्देशित होता है तथा इसके नियमित कार्यों को सामान्य परिषद् द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा है।[4] वर्तमान में इसके 164 देश सदस्य हैं भारत इसका संस्थापक सदस्य है वर्तमान समय में WTO में भारत के नए राजदूत ब्रजेंद्र नवनीत होंगे।

विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों को भारतीय कृषि के संबंध में निम्नवत देखा जा सकता है -

(1) कृषि अनुदान एवं सब्सिडी
(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली
(3) पेटेन्ट कानून एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार
(4) कृषि उत्पादों का विदेशी व्यापार

(1) कृषि अनुदान एवं सब्सिडी -

विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों की कृषि संरक्षण संबंधी वार्ता जारी है। 1अप्रैल 2001 से 215 वस्तुओं के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने की घोषणा करते समय मंत्री करासोली मारन ने स्पष्ट किया था कि 1994 में मराकश में हुए समझौते जो 1995 से लागू हुआ उसमें भारत को कृषि एवं उद्योग को दी जा रही सब्सिडी को कम करने की विवषता नहीं है। कृषि के क्षेत्र में दो प्रकार के अनुदान होते हैं प्रथम-उत्पादन के विभिन्न साधनों को क्रय करने के लिए। दूसरे अनुदान विशेष फसलों के लिए दिए जाते हैं - W.T.O. के समझौते के अनुसार प्रथम प्रकार के अनुदान की राशि 10% तक हो सकती है जबकि भारत में यह राशि 1986-87 से 1988-89 में 5.2% ही है। इससे अनुमान लगाया गया कि भारत को प्रथम प्रकार के अनुदान में कटौती की आवश्यकता नहीं है । दूसरे अनुदान की राशि कुल उत्पादन मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए इसमें भी भारत की स्थिति स्पष्ट है । सरकार द्वारा 20 फसलों की न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाती है इनमें 17 फसलों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत ऋणात्मक आती है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों की कीमत देश में प्रचलित कीमत से अधिक होती है। शेष तीन फसलों - गन्ना, मूँगफली, तम्बाकू को दी जाने वाली अनुदान राशि 10% से कम है। इस प्रकार डंकल प्रस्ताव के लागू होने पर से विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकसित देशों के बाक्स विकासशील देशों के निर्यात को बढ़ाने की अनुमति नहीं देता जबकि विकसित देश अपने स्तर पर इन अनुदानों को 64% तक कायम रख सकता है।4 इन सब का प्रभाव भारतीय कृषि पर ठीक नहीं पड़ा कुछ समय पहले तक भारतीय कृषि कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से नीचे परन्तु विकसित देशों द्वारा निर्यात के भारी मात्रा में अनुदान दिये जाने के कारण, भारतीय कृषि कीमतें और नीची हो गई जिससे हमारे किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है । किसानों द्वारा आत्महत्या एवं कई राज्यों में अशान्ति का कारण भी यह है कि जो किसान निर्यात में लगे थे उन्हें घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है । यह एक मानवीय समस्या वन गई है अर्थशास्त्रियों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट भी किया है । प्रो.पी.आर. ब्रह्मानंद का कथन है - हमें अपने देश के हितों को सर्वोपरि ध्यान देना चाहिए यदि हमें किसानों के हितों के लिए W.T.O. को छोड़ना भी पड़े तो मैं इसे अनुचित नहीं समझता।

W.T.O. में कृषि के संबंध में अनेक संधियों को अंतिम रूप प्रदान किया गया उसमें संधि के अनुसार यह तय किया गया कि विकसित देश आगामी छः वर्षों में अपने अनुदान 20% कम करेंगे और विकासशील देश 10 वर्षों में अपने अनुदान को 13% कम करेंगे परंतु विकसित देशों ने ग्रीन बाक्स और ब्लू बाक्स के अधीन कृषि को प्रदान करने वाली सहायता के क्रम को जारी रखा।[5] W.T.O. तीन बाक्स में कृषि को घरेलू समर्थन देता है -

अम्बर बाक्स -

इस बाक्स में सब्सिडी व्यापार को नुकसान पहुँचाने के लिए दी जाती है जिसे कम किया जाना चाहिए। ई यू ने इस बाक्स में अतिरिक्त कमी करने पर समझौता करने का प्रस्ताव रखा है यदि ब्लू और ग्रीन बाक्स बनाए रखा जाता है।

ग्रीन बाक्स -

सरकारी सेवाओं पर व्यय की गई उन राशियों को सम्मिलित किया जाता है जो अनुसंधान रोग नियंत्रण, आकार संरचना और खाद्य सुरक्षा पर किये जाने हेतु प्रस्तावित की गई है इसमें वह राशि भी शामिल होती है जो कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से दी जाती है जैसे-कृषि के पुर्नगठन के लिए आय रूपी सहायता और सरकार द्वारा दिये जाने वाले सभी अनुदान सम्मिलित रहते हैं इसकी सब्सिडी व्यापार को कम नुकसान पहुँचाती है।

ब्लू बाक्स -

इसमें किसानों को दिये जाने वाले ऐसे अनुदान सम्मिलित रहते हैं जो उत्पादन को सीमित करने अथवा सरकार द्वारा विकासशील देशों, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाना प्रस्तावित है और अन्य सहायता के रूप में दिये जाएं। यह बाक्स मुक्त बाजार नियमों का उल्लंघन करने वाला माना जाता है इसलिए कई देश इसे समाप्त करना चाहते हैं।

W.T.O. की स्थापना के बाद से ही इसके मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू हुए प्रथम द्वितीय एवं तृतीय सम्मेलन तक कृषि क्षेत्र से संबंधित कोई मुद्दों पर विचार- विमर्श नहीं हुआ लेकिन जब W.T.O. का चौथा सम्मेलन 14 नवम्बर 2001 को दोहा में हुआ तब भारत ने सक्रिय भूमिका निभा कर कृषि वर्धमान बाजार पहुंच एवं जन स्वास्थ्य नीतियों के लिए ट्रिम्स (Trade Related Inuesment Measures) के अन्तर्गत सुनभ्यता एवं स्पष्टता के पक्ष में अपने विचार रखे और 14 सितम्बर 2003 में हुए पाँचवे सम्मेलन में कृषि महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र के रूप में विचाराधीन रहा। भारत ने विकसित देशों में सब्सिडी के उच्च स्तर के जरिए विश्व कृषि में आई विसंगति को समाप्त करने की इच्छा जताई और कृषि में टैरिफ के किसी भी तरह के सामंजस्य का विरोध करने की बात को पुनः दोहराया ये सुझाव भारत द्वारा कृषि के संबंध में संयुक्त प्रभावों के भाग थे।[6]

13-18 दिसम्बर 2005 को हांगकांग में सम्पन्न छटे सम्मेलन में विकासशील देशों की एकजुटता के कारण विकसित देशों को कृषि सब्सिडी समाप्त करने को सहमत होना पड़ा और विकसित देश अपनी कृषि निर्यात सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से 2013 तक पूर्णतः समाप्त करने की सहमति हुई कृषि बाजार समझौते में पर्याप्त ढील की व्यवस्था की गई और भारत जैसे विकासशील देशों को कृषि क्षेत्र की योजनाओं पर किए जाने वाले शासकीय व्यय में कटौती नहीं होगी और कृषि क्षेत्र के विकास को W.T.O. के नियमों से बाहर रखा गया।7 सातवे सम्मेलन में भारत ने अपने देश के निर्धनों व किसानों की आजीविका सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। नौवे सम्मेलन में मुख्य खाद्य फसलों पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करना था W.T.O. को मानना है कि कृषि उत्पादों में दी जाने वाली सब्सिडी विश्व व्यापार में एक बाधा है।8 2013 में बाली में हुए सम्मेलन में भारत जिस अनुमति के लिए लम्बे समय से प्रयास कर रहा था कि खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी बिना किसी दंडात्मक कार्यवाही के मिले उसे सफलता मिली और 2013 एवं 2015 के सम्मेलन में आम राय नहीं बनती है तो भंडारण व सब्सिडी पर कोई कार्यवाही नहीं होगी और भारत खाद्य सुरक्षा अधिनियम को ध्यान में रखकर कृषि समझौते का स्थायी समाधान चाहता है। इसके लिए दूसरे देश भी भारत के साथ हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और 40 करोड़ किसानों का हित भारत के लिए सर्वोपरि

है न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है ये बात भारत के वित्त मंत्रियों ने हमेशा अपने पक्ष को बैठक में मजबूती से रखा है। भारत ये जानता है कि आयात शुल्क कम करने से घरेलू उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा दूसरे निवेश सुगमता से स्थानीय सरकारें पंगु हो जाएगी इसलिए W.T.O. में नये मुद्दे तभी शामिल होंगे जब खाद्य सुरक्षा कृषि सब्सिडी भंडारण, सरकारी खरीद जैसे मुद्दों को स्थायी समाधान नहीं हो जाता है। क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों को कृषि उत्पादन में प्रोत्साहन देने वाली सब्सिडी अम्बर बॉक्स में आती है जैसे बिजली देने पर किसानों का लागत मूल्य कम हो जाता है भारत में किसानों को ब्लू एवं ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी नहीं मिलती है किसानों को अपने खर्चे पर ही मकान ट्यूबवैल, ट्रेक्टर, मजदूरी, खाद्य, बिजली का खर्च स्वयं वहन करना पड़ता है। इसलिए विकसित देशों के सस्ते खाद्यान्न मूल्यों के कारण भारतीय खाद्यान्न बाजार में टिक नहीं पाता भारत की कृषि संबंधी परिस्थितियां अन्य देशों से भिन्न हैं इसलिए भारत को कृषि संबंधी मुद्दों के लिए एक दीर्घकालीन रणनीति बनाना होगी। और अपने देश के निर्धन किसानों की जरूरतों पर ध्यान देना होगा। आज की 19 कोविड की स्थिति में तो और भी जरूरी हो गया है कि कृषि विकास को सर्वोपरि माना जाए।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली - (जून, 1997 से लागू)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकारें गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को वितरित करती हैं। भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संभालती है। W.T.O. के इस समझौते से देश की वितरण प्रणाली पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत देय अनुदान उपभोक्ता को राहत पहुंचाने के लिए होते हैं न कि कृषक वर्ग को पहुंचाने के लिए। वितरण प्रणाली के लाभ से कृषकों का कोई संबंध नहीं होता है दूसरी ओर डंकल प्रस्ताव में उपभोक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। गैट संधि में यह तय किया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस प्रकार लक्षित की जाना चाहिए कि इसके लाभ उन गरीब परिवारों को ही मिलना चाहिए जो इसकी कसौटियों या मानदण्डों के अनुरूप हो परंतु वास्तविक समस्या तो मानदण्ड निर्धारित करने और गरीबों की पहचान करने की नहीं बल्कि इसके कार्यान्वयन की है ताकि इसके लाभ अनुचित एवं सम्पन्न वर्गों द्वारा न हथिया लिए जाए। खाद्य राशन दुकानों द्वारा जितना अनाज वितरित किया जाता है (यथा गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि) वह गरीबों की खपत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है या घटिया गुणवत्ता का है। आज भारत के पास चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अनाज स्टॉक है जिस पर सरकार 750 अरब रुपये प्रतिवर्ष खर्च करती है जो घरेलू उत्पाद का लगभग 1% है तब भी अभी तक भारत में 21% कुपोषण है। आज भारत में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दूकानें हैं। और सरकार ये चाहती है कि 30 जून 2020 तक पूरे भारत में "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना लागू हो जाएगी। सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान जी ने कहा कि सभी राशन कार्डों के आँकड़ों को एक सर्वर से जोड़ा जाएगा और 30 जून के बाद लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में और किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनाज प्राप्त कर सकेगा। इस प्रणाली को कैशलेश करने की स्कीम भी है। नकली राशन कार्डों की समाप्ति के लिए इसे आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है।8 इस प्रणाली से उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए पलायन करते है। भारतीय सरकार इस प्रणाली के लिए हर संभव प्रयास में लगी है और विकसित देश चाहते है कि भारत अपने किसानों से खाद्यान्न खरीदना बंद कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त कर दे और कोटेदारों के बैंक एकाउंट में रकम जमा करें ताकि वे बाजार भाव में सामान खरीदें ताकि सरकार का खाद्यान्नो पर से नियंत्रण समाप्त हो जाए पर भारत सरकार के लिए ये संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि भारत के गरीब किसान, गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए सरकार हमेशा ही अपनी सकारात्मक सोच के अधीन ही निर्णय लेती है।

ISSN 2395-051X

बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं पेटेन्ट कानून -

W.T.O. के बौद्धिक सम्पदा से संबंधित समझौते में 7 प्रकार की बौद्धिक सम्पत्ति आती है - (1) कापीराइट और तत्संबंधी अधिकार (2) ट्रेडमार्क (3) भौगोलिक संकेत (4) औद्योगिक डिजाइन (5) पेटेन्ट (6) संगठित सर्किट (7) व्यापारिक रहस्य।

कापीराइट एवं संबंधित अधिकारों पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी था भारत का नया कापीराइट एक्ट ट्रिप्स समझौते की आवश्यकता को पूर्ण करता है। यूरेग्वे समझौते की प्रकृति भारत के 1970 के पेटेन्ट एक्ट से कभी भिन्न था इसलिए इसने भारत में अनेक विवादों को जन्म दिया जैसे - विदेशी विनियोग की छूट, पेटेन्ट के लिए रायल्टी आदि के भुगतान से देश से पूँजी बाहर जाएगी जिससे भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा और विकासशील देशों को पेटेन्ट किये कच्चे माल का आयात करना पड़ेगा जिससे निर्यात को आघात पहुंचेगा। वास्तव में देखा जाए तो यह समझौता पक्षपात पूर्ण है क्योंकि औषधियों, कृषि, पौधे, पशु आदि पेटेन्ट प्रणाली से क्षेत्र का विस्तार तो होगा तो इसका लाभ विकसित देशों को अधिक मिलेगा क्योंकि उनके पास अनुसंधान और विकास के असीम साधन और सुविधाएं हैं इसलिए उन्हे निवेश और प्रक्रियाओं और पेटेन्ट करवाने की अधिक सुविधा होगी। ऐसी स्थितियों में विकासशील देशों को रायल्टी देना पड़ेगी। क्योंकि औषधियों और मशीनों की कीमतें बढ़ जाएंगी। जिससे कीमतों के बढ़ने से उपभोक्ता पर अधिक भार पड़ेगा।9 जो उनके हित में नहीं होगा। और इन सबका परिणाम ये होगा कि जो कार्य विकासशील देश परम्परागत रूप से करते आ रहे हैं उन पर अनुसंधान करके बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपना अधिकार जमा लेंगी।

यही नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यू.एस.आर.) के हालिया ज्ञापन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन व भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा स्वघोषित विकासशील देश के दर्जे के तहत W.T.O. में विशेष और विभेदक व्यवहार (एस एण्ड डी.टी.) के रूप में प्राप्त विशेष लाभों पर आपत्ति जताई है और कहा है कि तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास एवं उन्नति के कारण ये विशेषाधिकारों के योग्य नहीं है ये लाभों से संबंधित मुद्दा ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत ट्रम्प प्राासन द्वारा मार्च 2019 में सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जी.एस.पी.) कार्यक्रम के तहत् लाभार्थी देश के रूप में नई दिल्ली का दर्जा वापिस लेने के बाद अपने निर्यात में आ रही असफलताओं से उबरने की कोशिश कर रहा है इसी पृष्ठभूमि में विकासशील दर्जे से संबंधित मुद्दे में भारत ने खाद्य सुरक्षा के कारणों का हवाला दिया है और केस टू केस के आधार पर सब्सिडी को खत्म करने हेतु लम्बी संक्रमण अवधि की माँग की है। भारत की ग्रामीण आबादी जर्मनी, जापान, यूनाइटेड विगंडम जैसे देशों से आठ गुना अधिक है और अमेरिका का कहना है कि भारत को निर्यात के लिए सब्सिडी नहीं देना चाहिए। इस पर भारत का कहना है जब कोई देश एक हजार डालर के मार्क को पार करता है तो सब्सिडी खत्म करने के लिए 8 साल का समय मिलता है इसे ट्रांजीशन पीरियड कहा जाता है। ये भारत को मिलना चाहिए।

दिल्ली में आयोजित W.T.O. की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने ई-कामर्स और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर विरोध दर्ज किया है परन्तु अभी उसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। डॉ. विजय अग्रवाल का कहना है कि अगर भारत को कुछ नए मुद्दे W.T.O. में उठाने हैं तो अपना पक्ष रखने में हिचकना नहीं चाहिए। भू-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में मित्रता या शत्रुता स्थायी नहीं होती यहाँ केवल अपनी प्राथमिकताएँ देखी जाती हैं। इस तरह भारत बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं पेटेन्ट कानून के तहत् सूक्ष्म जीवों और पौध तथा बीज किस्सों के संरक्षण के द्वारा किसानों के हितों की रक्षा करने में W.T.O. में अपनी सशक्त भूमिका रखकर ही उन्हे सुरक्षित कर सकता है। और जो यू.पी.ओ.वी. के तहत् कानून तैयार किया है उसके अनुसार भी किसानों और अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है।

 ISSN 2393-9311

भारत के वैज्ञानिकों में भी अपार क्षमताएँ हैं जो विकसित देशों के वैज्ञानिकों के समान आवि कार करके उत्पादों के पेटेन्ट प्राप्त कर भारत को लाभ दे सकते हैं।

कृषि उत्पादों का विदेशी व्यापार -

देश में विदेशी उत्पादों के आयात के लिए दरवाजे पूरी तरह खोलने के साथ ही सरकार ने गेहूँ, चावल, मक्का, पेट्रोल, डीजल जैसे आयात को सरकारी व्यापार ऐजेन्सियों के मार्फत अनिवार्य कर दिया है। और देश के किसान विश्व बाजार में कृषि उत्पादों के जरिए प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे एवं केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत् सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगना करने के लक्ष्य को पूरा कर सकती है। और किसान अपने उत्पाद को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बना अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस नीति के भरोसे भारत 10 शीर्ष कृषि उत्पाद निर्यात करने वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। मोटे अनाज के मामले में भारत बड़ा उत्पादक देश है। यही नही भारत फलों और सब्जियों के उत्पादन में दुनिया में दूसरा स्थान है। और दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी है।10 सरकार को कृषि विकास के लिए प्रौद्योगिकीय विकास के साथ भूमि सुधार उर्वरकों एवं सिंचाई की अनुकूलतम व्यवस्था एवं कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास करना, शोध एवं विकास, नई किस्मों, आधुनिक प्रयोगशालाओं का निर्माण इत्यादि पर विशेष ध्यान देना होगा। तभी कृषि उत्पाद बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। W.T.O. का सदस्य होने के कारण भारत को संघ के नियमों का पालन करना होगा और W.T.O. से वातचीत के दौरान सरकार को भारतीय उद्योग कृषि और जनता के हितों का पूरा ध्यान रखना होगा। वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण बिगड़ी स्थिति को भी पटरी पर लाने का प्रयास करना होगा।

उपरोक्त वर्णित प्रावधान भारतीय कृषि से संबंध में W.T.O. में किये गये है परन्तु इन्हीं आधारों पर भारतीय कृषि को कृषकों के साथ आंकलित किया जाए तो शायद यह एक महंगा सौदा साबित होगा क्योंकि भारतीय कृषकों की दयनीय स्थिति सरकार से छिपी नहीं है समझौते में कहा है कि सभी देशों को घरेलू समर्थन मूल्य कम करने का प्रावधान है और साथ ही निर्यात प्रतियोगिता को वस्तु बाजार में बढ़ना है और बाजार पहुॅच के लिए सीमा करो की बाध्यता को कम किया गया है। इन सब का प्रभाव भारतीय कृषि को हानि पहुँचा सकता है इसके लिए सरकार को प्रयास करने होंगे और भारतीय कृषि की स्थिति और कृषकों को दी जाने वाली अनुदान राशियों को भी ध्यान में रखना होगा, इस संबंध में मेरे सुझाव निम्न है -

सुझाव -

(1) भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने एवं संकट से जूझ रही कृषि के लिए सरकार को अपनी कृषि संबंधी नीतियों में लोच की आवश्यकता है। और भारत जैसे देशों को दोहा राउंड की वार्ता पर एक बार फिर ध्यान देने की आवश्यकता है इसके लिए W.T.O. के दोहा राउंड को पुर्नजागृत करना आवश्यक है।

(2) W.T.O. का कृषि से संबंधित विवादित मुद्दा मुख्यतः अम्बर बाक्स सब्सिडी से संबंधित है। क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा कृषि को आर्थिक सहायता सरकार से प्राप्त होती है और यह सहायता W.T.O. के अनुसार व्यापार संतुलन को विकृत बनाती है।

अमीर देश चाहते हैं कि भारत किसानों और गरीब उपभोक्ताओं को संरक्षण और उन्हें बाजार के भरोसे छोड़ दे। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय न करे। और खाद्यान्न राशन की दूकानों से देना बंद करें। क्या ये सब भारत जैसे देश में संभव हो सकता है मेरी निजी राय में तो नहीं। जहाँ विशाल बेरोजगारी और गरीबी वर्तमान में पनप गई है। ये संभव ही नहीं है।

(3) सर्वप्रथम भारतीय कृषकों की स्थिति सरकारी प्रयासों से अच्छी करना होगा क्योंकि हमारा किसान वर्ग अशिक्षित है उसे W.T.O. के कृषि प्रावधानों को समझना होगा। माध्यम कोई भी हो सकता है मेला, मीडिया, प्रदर्शनी, स्व-सहायता समूह स्वयं सेवी संगठन इत्यादि।

(4) पेटेन्ट कानून व्यवस्था में सभी देशों के विकास का स्तर एक माना गया है और उन्हें समान संरक्षण देने के लिए उच्च स्तर मानकों की व्यवस्था की गई है यह भी सही नहीं है सभी देशों के विकास स्तर को उस देश के विकास स्तर से ही जाना जाए तो ही देश को लाभ हो सकता है ।

कृषि अनुदान भारत देश में यदि धीरे-धीरे समाप्त होने की ओर होगा तो छोटे एवं लघु कृषकों का तो जीने का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा इसमें ऐसी व्यवस्था हो कि भूमि के अनुसार अनुदान की राशि को दिया जाना जरूरी है।

(5) कृषकों को उन्नत बीज कीटनाशक उर्वरक कृषि यंत्र आदि खरीदने की जो बाध्यता बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से है वह नहीं होना चाहिए क्योंकि देश में उत्पादित वस्तुओं का क्षय होगा जो उचित नहीं है।

(6) प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी है उसमें उपभोक्ताओं के हितों के लिए सरकार का प्रयास एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना को सशक्त बनाना होगा।

(7) खाद्यान्नों के आयात में कुल खपत का 3% आयात अनिवार्य होगा ये भी सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि विश्व में जनसंख्या के संबंध में भारत का दूसरा स्थान है तो यहाँ खपत भी ज्यादा होगी जो हमारे अर्थ व्यवस्था के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। निर्यात में आई सुस्ती को भी बढ़ाने का प्रयास करना होगा।

उक्त सुझाव और सरकार के प्रयास (जैसे कि व्यापार सरलीकरण समझौते के संबंध में हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा हम तभी साइन करेंगे जब भारत को अनाज खरीदने, भंडारण करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की छूट मिलेगी वर्ना भारत साइन नहीं करेगा।) इसमें सफलता का शंखनाद कर सकते हैं और कृषि एवं कृषक को पहले देश में सशक्त बना करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के आधार पर उन्हें लाभान्वित कर सकते है।

सन्दर्भ -

1. डॉ. सिन्हा बी.सी.-डॉ. सिन्हा पुष्पा-अन्तर्रा ट्रीय अर्थास्त्र एस.बी.पी.डी. पब्लिगि हाऊस, आगरा पृ ठ 223, 229, 2015,
2. डॉ. मामोरिया चतुर्भुज -डॉ. जैन एस.सी.-भारतीय अर्थशास्त्र साहित्य पब्लिकेशन, आगरा पृष्ठ 408, 2010,
3. डॉ. पाण्डेय मृगेष-अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सिद्धांत नीति एवं समस्याएँ मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ, पृष्ठ 586, 84, 2014,
4. ड़ॉ. मिश्र जयप्रकाश-कृषि अर्थशास्त्र साहित्य पब्लिकेशन, आगरा, पृ ठ 481, 86, 87, 89,
5. डॉ. एस.सी. जैन-डॉ. माहेश्वरी पी.डी.-कृषि अर्थशास्त्र कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृष्ठ 283, 2014
6. डॉ. गुप्ता-डॉ. माहेश्वरी पी.डी.-भारतीय आर्थिक नीति कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ ठ 554
7. डॉ. फडिया बी.एल.-अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ 363,
8. दूरदर्शन न्यूज़-15 मई 2017
9. डॉ. माहेश्वरी पी.डी.-डॉ. गुप्ता-भारतीय विदेशी व्यापार एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल - पृष्ठ 123, 125